न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –56/2012 जिला दौसा

1. मंगली देवी पत्नि हरसहाय जाति मीना, निवासी गुल्लाना बडदंग्या की ढाणी, तहसील बसवा, जिला दौसा (फौत) के बजाय –

1/1 रामकिशन आयु 50 वर्ष पुत्र हरसहाय

1/2 गिरिराज प्रसाद आयु 42 वर्ष पुत्र हरसहाय

1/3 जगदीश आयु 44 वर्ष पुत्र हरसहाय

1/4 कमल आयु 40 वर्ष पुत्र हरसहाय
जाति मीणा निवासी ग्रम गुल्लाना ढाणी बडदंग्या की तहसील बसवा जिला दौसा ।

1/5 श्रीमति लड्डो देवी आयु 38 वर्ष पुत्री हरसहाय पत्नि भगवान सहाय जाति मीणा निवासी फुलेला तहसील बसवा, जिला दौसा ।

1/6 सोमा आयु 36 वर्ष पुत्री हरसहाय पत्नि बद्री प्रसाद जाति मीणा, निवासी महुवा, तहसील मालाखेडा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मांगी लाल पुत्र जंगली जाति मीना, निवासी गुल्लाना, तहसील बसवा, जिला दौसा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 13.6.2012

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री के.आर.शर्मा

निर्णय

दिनांक– 3.1.2018

पेशा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 13.6.2012 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि मंगली देवी अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2010 को प्रशासन गॉव के संग अभियान 2010 कैम्प कोर्ट झाझीरामपुरा, तहसील बसवा में इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मंगली देवी ने मांगी लाल मीणा गुल्लाना वाले से खसरा नम्बर 463 से 469 तक में 75/182 हिस्सा खरीदा है जब भूमि खरीदी थी इसमें रजिस्ट्री में रास्ता होना कबूला था एवं रास्ता चालू भी था , लेकिन कुछ समय पूर्व रास्ता अवरूद्ध कर दिया है । उक्त ढाणी के निवासी विगत 100 वर्षों से इसी रास्ते से होकर निकल रहे थे । इस ढाणी में करीब 200 आदमी रहते हैं जो कि रास्ता अवरूद्ध होने से भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं, बीमारी होने एवं डिलीवरी आदि के लिए मरीजों को अस्पताल भी नहीं ले जा पाते हैं । अतः उक्त रास्ते को खुलवाकर दुरूस्त किया जावे ।

तहसीलदार बसवा जिला दौसा ने मंगली देवी के उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिनांक 30.12.2010 पारित कर खसरा नम्बर 466, 465, 467, 468 के पश्चिमी भाग से उत्तर से दक्षिण की ओर लम्बवत 3 मीटर चौडा रास्ता अन्तर्गत धारा 251 राज. काश्कारी अधिनियम 1955 के तहत कायम किया गया, जो कि बन्दोबस्त से ही उक्त खसरा नम्बर में डोटेड किया हुआ है । खातेदारान खसरा नम्बर 465 से 468 को पाबन्द किया गया कि वे उक्त वर्णित खसरा नम्बर में से डोटेड रास्ता जो कि 3 मीटर चौडा है, उसमें कोई अवरोध अथवा व्यवधान उत्पन्न नहीं करें । पीडित काश्तकार उक्त रास्ते का उनके सुखाधिकार के तहत उपयोग करते रहेगें ।

तहसीलदार बसवा के उक्त निर्णय दिनांक 30.12.2010 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट मांगीलाल द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनाक 13.6.2012 द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मात्र किसी खातेदार का आने जाने का रास्ता किसी अन्य खातेदारान ने बन्द कर दिया है और उस खातेदार का सुखाधिकार सिद्ध है तो ही रास्ता खुलवाने का अधिकार दिया गया है , के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार बसवा का निर्णय दिनांक 30.12.2010 निरस्त किया गया । अति. कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 13.6.2012 के खिलाफ अपीलान्ट मंगली देवी द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार बसवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2010 बहाल रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार बसवा द्वारा मंगली के प्रार्थना पत्र पर मौका जॉच रिपोर्ट पटवारी हल्का गुल्लाना से प्राप्त की थी जिसमें अपीलान्ट के खेतों में जाने का रास्ता अवरूद्ध होना बताया था । उनका कहना था कि ग्रामसभा ने दिनांक 27.8.2008 को प्रस्ताव संख्या 5 पारित कर रास्ता कायम रखे जाने का निर्णय लिया था । रेकार्ड पर पूर्ण रूप से यह सिद्ध है कि विवादित रास्ता सैकडों वर्षो से कायम रहा है जिसमें ढाणी के ग्रामवासी आते जाते रहे हैं और अपीलान्ट्स भी उक्त रास्ते से होकर आवागमन करते रहे हैं । अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बसवा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये निर्णय दिनांक 30.12.2010 पारित कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत रास्ता कायम किया गया है , जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने प्रकरण के तथ्यो को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश से रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार बसवा का निर्णय दिनांक 30.12.2010 निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा तहसीलदार बसवा का आदेश दिनांक 30.12.2010 यथावत कायम रखा जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ने विवादित रास्ता कायम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 30.12.2010 को झाझीरामपुरा में प्रस्तुत किया था जिसे गुल्लाना में दिनांक 21.12.2010 को प्रस्तुत किया जाना मानकर तहसीलदार बसवा ने निर्णय दिनांक 30.12.2010 पारित कर आराजी खसरा नम्बर 466, 465, 467, 468 के पश्चिमी भाग से उत्तर से दक्षिण की ओर लम्बवत 3 मीटर चौडा रास्ता अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम केतहत कायम किया है, जो कानूनन त्रुटिपूर्ण होने से निरस्नीय है । उनका कहना था कि धारा 251

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 45 दिन तक अधिकार ग्रम पंचायत को होता है । तहसीलदार को उक्त प्रकरण सुनने का कोई अधिकार नहीं था । उनका कहना था कि इसी प्रकरण बाबत पूर्व में भी लक्ष्मीनारायण मीणा के रास्ता खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बसवा ने आदेश दिनांक 13.4.89 पारित कर रास्ते को खोलने का आदेश दिया था , जिसके विरूद्ध रेस्पोंडेन्ट मांगीलाल के पिता जंगली ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की थी जो निर्णय दिनांक 12.8.2003 से तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करने का कोई अधिकार नहीं होते हुये भी सुनवाई कर जो आदेश पारित किया है , उसका समर्थन नहीं किया जा सकता मानते हुये तहसीलदार बसवा का आदेश दिनांक 13.4.89 क्षेत्राधिकारविहीन होने निरस्त कर निगरानी स्वीकार की है । उनका कहना था कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मात्र किसी खातेदार का आने जाने का रास्ता किसी अन्य खातेदारान द्वारा बन्द कर दिया जाता है और उस खातेदार का सुखाधिकार सिद्ध है तो ही रास्ता खुलवाने का प्रावधान है । तहसीलदार के समक्ष यह सिद्ध था कि उक्त रास्ते के प्रकरण में तहसीलदार का आदेश माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से क्षेत्राधिकारविहीन होने से खारिज हो चुका था । उनका कहना था कि यदि रास्ता नहीं है तो तहसीलदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत भूमिधारी को मुआवजा देकर नया रास्ता कायम कर सकता है , लेकिन तहसीलदार ने राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत पुनः रास्ता कायम करने का आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.6.2012 द्वारा रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बसवा का आदेश दिनांक 30.12.2010 निरस्त किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते का है । तहसीलदार बसवा ने मंगली देवी के प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 30.12.2010 पारित आराजी खसरा नहम्बर 466, 465, 467 एवं 468 के पश्चिमी भाग से उत्तर से दक्षिण की ओर लम्बवत 3 मीटर चौडा रास्ता अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कायम किया है । तहसीलदार के उक्त निर्णय के खिलाफ मांगीलाल रेस्पोंडेन्ट की अपील अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.6.2012 द्वारा इस आधार पर स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया है कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मात्र किसी खातेदार का आने जाने का रास्ता किसी अन्य खातेदारान ने बन्द कर दिया है और उस खातेदार का सुखाधिकार है तो ही रास्ता खुलवाने का अधिकार दिया गया है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण पूर्व में भी लक्ष्मीनारायण मीणा के रास्ता खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बसवा ने आदेश दिनांक 13.4.89 पारित कर रास्ते को खोलने का आदेश दिया था , जिसके विरूद्ध रेस्पोंडेन्ट मांगीलाल के पिता जंगली ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की थी, जो निर्णय दिनांक 12.8.1993 से प्रथम विज्ञप्ति दिनांक 17.6.1060 के द्वारा तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करने का कोई अधिकार नहीं होते हुये भी सुनवाई कर जो आदेश पारित किया है , उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, मानते हुये तहसीलदार बसवा का आदेश दिनांक 13.4.89 क्षेत्राधिकारविहीन होने से निरस्त कर निगरानी स्वीकार की है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि रास्ते का प्रकरण एक बार राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 12.8.93 द्वारा निस्तारित होकर तहसीलदार बसवा का आदेश दिनांक 13.4.89 निरस्त हो गया था । इसके बाद तहसीलदार बसवा ने निर्णय दिनांक 30.12.2010 द्वारा धारा 251 आर.टी.एक्ट के तहत पुनः रास्ता कायम करने में विधिक त्रुटि की है । तहसीलदार के उक्त निर्णय के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट मांगी लाल की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.6.2012 से स्वीकार करते हुये तहसीलदार बसवा के आदेश दिनांक 30.12.2010 को कानूनी गलती मानते हुये निरस्त किया है , जो उचित एवं विधिक है तथा इसमें हम कोई हस्ताक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज होने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर